

पर्या डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 166/2025

1 बलकरण सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

डिक्री

प्रतिवादी
दिनांक 18/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय
हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर
साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती
है चक नं० 3 वी. आर. डबल्यू के खाता सं० 123/102, इसी चक के खाता सं०
124/103 व चक नं० 1 वी.आर. डबल्यू के खाता सं० 95/84 में दर्ज वादी का नाम
बलकरणसिंह पुत्र जीतसिंह के स्थान पर वल्लिदयत दुरुस्त कर सही वल्लिदयत बलकरण
सिंह पुत्र रणजीत सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, यदि वादी पर कोई
आपराधिक प्रकरण या सरकारी देय हो पूर्व का नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व
टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो
तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना
अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 18/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं
(सत्यनारायण R.A.S.)
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।